बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., ...

ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूहों द्वारा पेक्स/लेम्प्स/बैंक शाखओं को प्रस्तुत किये जाने के लिए आवेदन–पत्र

समूह के ऋण खाते के संचालकों के चित्र

स्वयं सहायता समूह का नाम ....

पता ....

गठन/स्थापना की दिनांक ....समूह के सदस्यों की संख्या.................................

पंजीकृत हाँ/नहीं .... यदि पंजीकृत है, तो पंजीयन संख्या........................ दिनांक.........................

(पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी संलग्न करें।)

समूह को सहायता देने वाले एस.एच.पी.आई./एन.जी.ओ./वी.ए. का नाम (यदि कोई हो)

....

दिनांक ....

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक अथवा व्यवस्थापक

बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. पेक्स/लेम्पस..

शाखा.. पं.सं. .... जिला–बारां (राज.)

विषय : ऋण हेतु आवेदन

प्रिय महोदय,

1. हम उपर्युक्त स्वयं सहायता समूह के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने हेतु रु. .... (अक्षरे रुपये .... मात्र) के ऋण हेतु आवेदन कर रहे है। हमारे समूह का वित्तीय विवरण दिनांक.............................की यथास्थिति के अनुसार संलग्न शीट में दिया गया है।
2. हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक/समिति की नोमिनल सदस्यता दिनांक....................को ग्रहण की जा चुकी है।
3. हम बैंक/समिति द्वारा यथा निर्धारित चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण राशि की चुकौती करने के लिए सहमत हैं।
4. समूह के सभी सदस्यों द्वारा सम्पादित परस्पर करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वयं सहायता समूह की ओर से हमें उधार लेने का भी अधिकार प्राप्त है।
5. हम एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर दिये गये सभी विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
6. हम एतद् बैंक/समिति को यह प्राधिकृत करते हैं कि वे जैसा उचित समझें अपने बैंक/समिति में हमारे ऋण खाते से सम्बन्धित कोई विवरण या सूचना दी राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि./नाबार्ड सहित किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य एजेन्सी को प्रकट कर सकते है। यदि इसके साथ दी गई समूह से सम्बन्धित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है और/अथवा तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक/समिति को यह अधिकार होगा कि वह बैंक से ऋण सुविधाऐं प्राप्त करने से स्वयं सहायता समूह को अयोग्य करार दे सकता है आैर/अथवा इस आवेदन के तहत स्वीकृत सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को वापस माँग सकता है।

भवदीय,

1. .... 2. .... 3. ....

(प्राधिकृत प्रतिनिधि)

स्वयं सहायता समूह

वित्तीय विवरण दिनांक .... की यथास्थिति के अनुसार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	सदस्यों से बचत	....
2.	एस. एच. पी. आई. (एन.जी.ओ./वी.ए.) से प्राप्त सीड मनी (यदि कोई हो)	....
3.	बकाया उधार (कृपया स्त्रोत स्पष्ट करें)	....
4.	सदस्यों के समक्ष बकाया ऋण	....
5.	सदस्यों से चूक की राशि (यदि कोई हो)	....
6.	वसूली का प्रतिशत	....
7.	रोकड़/बैंक में जमा	....

प्रस्ताव

स्वयं सहायता समूह का नाम व पता ....

आज दिनांक.................................. को .... (समूह का नाम) के सभी सदस्यों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित कर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारे समूह के विकास एवं ऋण की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए रू. .... का ऋण .... ग्राम सवा सहकारी समिति/लेम्पस/बैंक से लेने का निर्णय किया गया।

समूह के उक्त खाते का संचालन करने हेतु समूह अध्यक्ष श्री/श्रीमती .... सचिव श्री/श्रीमती .... एवं कोषाध्यक्ष श्री/श्रीमती .... को अधिकृत किया जाता है। समिति ऋण के पुनर्भुगतान हेतु हम सभी संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से भी जिम्मेदार रहेंगे:–

समूह अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के प्रमाणित हस्ताक्षर निम्नानुसार है:–

1. नाम .... अध्यक्ष हस्ताक्षर ....

2. नाम .... सचिव हस्ताक्षर ....

3. नाम .... कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर ....

स्थान : ....

दिनांक : ....

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित किये जाने हेतु परस्पर करारनामा

यह करारनामा सन् .... के .... माह .... दिन को

1. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
   आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....
   ....

   और

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
   आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....
   ....

   और

3. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
   आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....
   ....

   और

4. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
   आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....
   ....

   और

5. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
   आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....
   ....

   और

6. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
   आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....
   ....

   और

7. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....
   आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....
   ....

   और

8. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....

....

और

9. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....

....

और

10. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....

....

और

11. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....

....

और

12. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....

....

और

13. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....

....

और

14. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....

....

और

15. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु........................ वर्ष आवासीय पता ....

....

और

16. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु.......................... वर्ष आवासीय पता ....

....

और

17. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु.......................... वर्ष आवासीय पता ....

....

और

18. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु.......................... वर्ष आवासीय पता ....

....

और

19. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु.......................... वर्ष आवासीय पता ....

....

और

20. श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

आयु.......................... वर्ष आवासीय पता ....

....

जो .... समूह के सदस्य हैं तथा जिन्हें एतद् पश्चात् सामूहिक रूप में ''स्वयं सहायता समूह के सदस्य'' कहा गया हैं, के बीच सम्पादित किया गया।''स्वयं सहायता समूह के सदस्य'' कथन में जब तक प्रसंग या तात्पर्य के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत न हो, उक्त स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य, उसके सम्बन्धित विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादित और प्रशासक शामिल है। अतः स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के बाराँ जिले के .... गाँव के निवासी है और एक–दूसरे से परिचित हैं।

अतः ऊपर उल्लेखित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने स्वेच्छा से मिलकर एतद् पश्चात् उल्लेखित शर्तो के अनुसार आपसी हितो के लिए बचत ऋण और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है।

अतः अब यह इकरारनामा इस प्रकार साक्ष्यांकित किया जाता है :–

1. स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य रू. .... (अक्षरे रू. .... मात्र) की राशि अथवा समूह द्वारा जो राशि निश्चित की गई हो, साप्ताहिक/पाक्षित/मासिक आधार पर समूह के प्राधिकृत सदस्य के पास जमा करेगा।
2. हर सदस्य स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए प्रयत्न करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जो स्वयं सहायता समूह के व्यावसायिक हितों के विरूद्ध हो।
3. स्वयं सहायता समूह के द्वारा प्रसंविदा किये गये सभी प्रकार के ऋणों के लिए उसके सभी सदस्य सयुक्त रूप और व्यक्तिगत तौर पर पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. स्वयं सहायता समूह द्वारा अर्जित की गई सभी परिसम्पत्तियाँ समूह के सभी सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में रहेगी और सामान्यत: किसी ऐसे सदस्य की अभिरक्षा में रहेगी, जिसे समूह द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
ये परिसम्पत्तियाँ .... स्थित कारोबार के स्थल पर रखी जायेगी और उस स्थान को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

5. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में
श्री/श्रीमती/कुमारी .... को .... रूप में
श्री/श्रीमती/कुमारी .... को .... रूप में
श्री/श्रीमती/कुमारी .... को .... रूप में
(कोई भी पदनाम रखा जाए) चुना है एवं नियुक्त किया है, जो स्वयं सहायता समूह की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों की व्यवस्था व संचालन करेंगे और उससे सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलों में उसकी ओर से तथा उसके नाम से कार्य करेंगे। तथापि, प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है और उसी प्रकार नये प्रतिनिधि चुने जा सकते है।

6. स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य एतद् द्वारा ऐसे सभी कार्यो और विलेखों का अनुसमर्थन और अनुपालन करने के लिए सहमत है, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त गतिविधियों के हितों का रक्षा के लिए करते है।

7. प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक कार्यो के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे और प्रत्येक प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक मामलों की देखभाल करने में, विशेषकर निम्नलिखित गतिविधियों के निष्पादन में सक्रिय रूप से भाग लेगा। स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य एतद् द्वारा अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करता है कि वे स्वयं सहायता समूह की और से ऋण हेतु आवेदन करें और इस प्रयोजन हेतु समूह की ओर से यथावश्यक करार/प्रलेख सम्पादित करें। प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह की ओर से बैंक से ऋण की राशि प्राप्त करें, उस राशि को समूह के बचत खाते में जमा करें और समूह के निर्णयों के अनुसार उसमें से सदस्यों को ऋण प्रदान करें तथा ऋण की किश्तों की वसूली की राशि को बैंक/समिति के पास स्वयं सहायता समूह के ऋण खाते में जमा करें।

8. स्वयं सहायता समूह द्वारा समूह के सदस्य एतद् द्वारा प्रतिनिधियों को निम्नालिखित कार्यो के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करते है :–

(क) स्वयं सहायता समूह द्वारा अनुमोदित.............................बैंक/समिति में बचत खाता, मियादी जमा और अन्य खाता खोलने और उसे निम्नलिखित प्राधिकृत में से किन्ही दो के हस्ताक्षरों से संचालन करना।
श्री/श्री मती/कुमारी ....
श्री/श्री मती/कुमारी ....
श्री/श्री मती/कुमारी ....

(ख) स्वयं सहायता समूह द्वारा किये गये बचतों, उन्हें प्रदान किये गये ऋण, उनसे प्राप्त वसूलियों के सम्बन्ध में उचित एवं व्यवस्थित खाता–बही तैयार रखना या रखवाना तथा प्रति वर्ष सम्पूर्ण लेखा को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

(ग) स्वयं सहायता समूह को देय सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करना और समूह की ओर से अपेक्षित रसीदें या पावतियाँ जारी करना।

(घ) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ओर से कोई विधिक कार्यवाही शुरू करना या प्रतिवाद करना तथा सभी सदस्यों के हितो की रक्षा करना और इस प्रयोजन हेतु किसी अधिवक्ता, वकील या अभिकर्त्ता को लगाना या उसे विमुक्त करना तथा इससे सम्बन्धित सभी प्रकार के विधित व्ययों को वहन करना।

9. स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के दिवंगत हो जाने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी सुविधाओं का हकदार होगा तथा इस करारनामा के अन्तर्गत मृतक सदस्य की सभी प्रतिबद्धताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा।

10. करार किया जाता है कि वर्तमान में सभी सदस्यों की सहमति के बिना स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में किसी नये व्यक्ति को शामिल नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के पुर्वोक्त सदस्यों ने सन्..........................के..........................माह के ....दिन को ....स्थान पर अपने हस्ताक्षर/अँगूठा निशान दर्ज किये।

क्र.सं.	स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम	हस्ताक्षर / अँगूठा निशान
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	....	....
5.	....	....
6.	....	....
7.	....	....
8.	....	....
9.	....	....
10.	....	....
11.	....	....
12.	....	....
13.	....	....
14.	....	....
15.	....	....
16.	....	....
17.	....	....
18.	....	....
19.	....	....
20.	....	....

साक्षी : 1. ....

2. ....

टिप्पणी : स्वयं सहायता समूह में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।

व्यवस्थापक,

.... प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समिति लि. ....

पंचायत समिति .... जिला : बाराँ (राज.)

विषय : समिति की नोमिनल सदस्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

समिति के कार्यक्षेत्र के .... निवासियों, जिनकी सूची संलग्न है, द्वारा एक स्वयं सहायता समूह .... के नाम से बनाया है। समूह के सदस्यों के मध्य निष्पादित करारनामे की प्रति संलग्न करते हुए हम चयनित/अधिकृत प्रतिनिधि.. कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति के सदस्यों की आवश्यताओं का पूर्ति हेतु ऋण उधार प्राप्त करने के प्रयोजन से .... स्वयं संहायता समूह को समिति के नोमिनल सदस्य बनने हेतु आवेदन करते है। समूह के प्रत्येक सदस्य ने समिति के नियम, शर्ते एवं प्रावधान पढ़ समझ लिये है तथा इनकी पूर्ण पालना की जावेगी।

इस प्रयोजन हेतु समूह की ओर से सदस्यता शुल्क एक रूपया रू. .... अमानत राशि जमा करवा रहे है।

हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधिगण

1.. 2.. 3. ....

1. नाम ....

पता ....

....

2. नाम ....

पता ....

....

3. नाम ....

पता ....

....

स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करते समय बैंको/समितियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले करार के शर्तों का फार्मेट

मैसर्स ....

(स्वयं सहायता समूह का नाम) लोगों/व्यक्तियों का एक गैर–पंजीकृत समूह, जिसका कार्यालय ....में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती ....(नाम) ....(पदनाम) और श्री/श्रीमती ....(नाम) ....(पदनाम) के किया, जो स्व.स.स. के सभी सदस्यों द्वारा पूर्णरूपेण प्राधिकृत हैं। इस प्रकार के प्राधिकरण–पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है और वह इस करार का एक भाग है, जिसे इसमें आगे ऋणकर्त्ता कहा गया है, उसके विषय या विषयवस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अतिव्यंजना न हो (का अर्थ और उसमें तत्समय गैर पंजीकृत समूह के सदस्य, उनके सम्बिन्धत उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस, प्रशासन और सनमुदेशिती शामिल है) एक पक्ष, और ....अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित ....

(पेक्स/लेम्प्स/बैंक का नाम) एक कार्पोरेट निकाय, जिसका प्रधान कार्यालय .... और साथ ही साथ जिसकी एक शाखा ....में है, जिसे इसमें आगे ''बैंक/पेक्स/लेम्प्स'' कहा गया है, उसके विषय या विषय वस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ और उसमें उत्तराधिकारी और समनुदेशिती है, दूसरे पक्ष के द्वारा और के बीच ....में 200 ....के .... दिन यह करार किया गया। यथा ऋणकर्त्ता लोगो की गैर पंजीकृत संस्था है, जो अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को विकसित करने और सुधारने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह के रूप में एक दूसरे को परस्पर सहायता देने के लिए सहमत हुए है। यथा, स्वयं सहायता समूह के रूप में बनाने पर ऋणकर्त्ताओं ने दिनांक......................के संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसरण में ऋण लेने के लिए विधिवत् प्राधिकृत उक्त श्रीमती ....(नाम) ....पदनाम और श्रीमती ....(नाम) ....पदनाम द्वारा किये गये आवेदन के अनुसार बैंक/समिति से अनुरोध किया है कि वे...............................रू. का ऋण प्रदान करें रू. ....(अक्षरे रूपये ...." ....) मात्र तक की सीमा तक ऋण सुविधा प्रदान करें जिसमें से अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करेंगे। और यथा बैंक/समिति ऋणकर्ता को कुछ शर्तो पर ऋण प्रदान करने/ऋण सुविधा प्रधान करने के लिए सहमत हो गया है।

और यंथा बैंक/समिति और ऋणकेर्त्ता समस्त शर्तो को लिपिबद्ध करने के इच्छूक हैं।

अतः अब यह करार निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है :–

1. बैंक/पेक्स/लेम्प्स रू..............................(अक्षरे रूपये ....मात्र) तक मियादी ऋण/नकद ऋण (बेजमानती) सीमा के रूप में ऋण प्रदान करने और ऋणकर्त्ता ऋण लेने के लिए सहमत है और बैंक/पेक्स/लेम्प्स अपने बही–खाते में ऋणकर्त्ता के नाम से दिनांक.................................... की (खाते के प्रकार का उल्लेख करें) खाता सं. ....खोला है।
2. यदि नकद ऋण सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो ऋणकर्त्ता संतोषप्रद ढंग से और सीमा के अधीन नकद ऋण खाते का परिचालन करेगा और ऋणकर्त्ता ब्याज सहित खाते में बकाया देयता और समय–समय पर नामे किये गये अन्य प्रभारों की चुकोती माँग किये जाने पर बिना किसी आपत्ति के करेगा।
3. यदि लिये गये माँग ऋण हैं, माँग पर ऋण वापस माँगने के बैंक/पेक्स/लेम्प्स के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणकर्त्ता संस्वीकृति की शर्तो में निर्धारित अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण और अन्य प्रकारों की चुकौती करने का वचन देता है। (जो लागू न हो, उसको काट दें।)

4. यदि ऋणकर्त्ता द्वारा उपयोग की गई ऋण सुविधा मियादी ऋण है, तो उसकी चुकौती इसमें नीचे दी गई चुकौती अनुसूची में उल्लेखित ढंग से की जायेगी (उल्लेख करें), इसके अतिरिक्त, ऋणकर्त्ता इस प्रकार के ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

5. ऋणकर्त्ता एवं सहायता समूह एवं इसके समस्त सदस्यों पर पृथक–पृथक रूप से राजस्थान राज्य सहकारिता अधिनियम 1965 के समस्त प्रावधान लागू होंगे एवं बैंक/पेक्स/लेम्प्स को इन प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली सम्बन्धी कार्यवाही स्वयं सहायता समूह तथा इसके प्रत्येक ऋणी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में करने का अधिकार होगा।

6. इसके दोनों पक्षों और उनके बीच यह स्पष्ट समझौता हुआ है कि यदि ऋणकर्त्ता ऋण सुविधा की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए करने में असफल रहता है, जिस प्रयोजन के लिए ऋणकर्त्ता ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है, तो ऋणकर्त्ता अन्य कानूनी कार्यवाही करने के बैंक/पेक्स/लेम्प्स के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना माँग पर ब्याज के साथ बिना किसी प्रकार की आपत्ति के तत्काल चुकौती करेगा।

7. ऋणदाता बैंक/पेक्स/लेम्प्स दी राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि. को एवं नाबार्ड के अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऋणकर्त्ता स्वयं सहायता समूह के समस्त रिकार्ड का निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

8. ऋणकर्त्ता ऋण खाते में दैनिक शेष पर परिकलित किये जाने वाले और उसमें तिमाही आधार पर नामे किये जाने वाले ऋणों पर या बैंक/पेक्स/लेम्प्स जिस तरह निर्णय करें, ब्याज का भुगतान करेगा।

9. ऋणकर्त्ता अपने सदस्यों और उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ऋण सुविधा की राशि का उपयोग करेगा।

10. ऋणकर्त्ता उपयोग किये गये ऋण की राशि को चुकौती साथ ही इस प्रकार के ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

11. ऋणकर्त्ता, बैंक/पेक्स/लेम्प्स के नियमों के अनुसार ऋणकर्त्ता द्वारा बैंक/पेक्स/लेम्प्स को देय ब्याज और अन्य प्रकारों के साथ माँग पर ऋण की राशि की चुकौती करने के लिए बाध्य होगा।

चुकौती अनुसूची

कृपया उल्लेख करें।

इसके दोनों पक्षों ने साक्ष्य स्वरूप शुरू में इसके ऊपर लिखित दिनांक................माह................वर्ष............. को हस्ताक्षर किये।

स्वयं सहायता समूह के वास्ते | बैंक/पेक्स/लेम्प्स के वास्ते

1. प्राधिकृत प्रतिनिधि | प्रबन्धक | व्यवस्थापक

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि

गै.स.सं./एस.एच.पी.आई. की ओर से स्वयं सहायता समूह को प्रायोजित करने का पत्र

सेवा में, दिनांक ....

शाखा प्रबन्धक

बैंक ....

शाखा ....

विषय : बैंको के साथ स्वयं सहायता समूह को सहबद्ध करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

हम एतद् द्वारा स्वय.स.स. को बैंक से सहबद्ध करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत आपके बैंक से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त ऋण प्रस्ताव भेज रहे हैं।

क्र.सं.	स्व.स.स. का नाम	सदस्यों की संख्या	आवश्यक ऋण
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

कृपया अनुरोध पर विचार करें और अपने स्तर पर आवश्यक र्कावाही करें।

सादर

भवदीय,

( )

नोट : जब गै.स.सं./एस.एच.पी.आई. सीधे लिकेज के लिए बैंक को स्व.स.स. का ऋण आवेदन प्रायोजित करता है, तो इसका उपयोग करें।

स्वयं सहायता समूहों को उधार राशि देने के उद्देश्स से स्वयंसेवी एजेन्सी/ स्वयं सहायता प्रोत्साहक संस्था द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऋण सहायता हेतु बैंक शाखा को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का नमूना

स्वयं सेवी एजेन्सी/स्वयं सहायता प्रोत्साहक संस्था का नाम ....
....

पता ....
....

दिनांक .... को गठित/स्थापित .... पंजीकरण सं. ....

(पंजीकरण प्रामण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)

कार्यकलाप का प्रकार ....
....

शाखा प्रबन्धक

बैंक ....

शाखा ....   दिनांक.................................

महोदय,

ऋण हेतु आवेदन

1. संलग्न सूची में निर्दिष्ट......................(संख्या) स्वयं सहायता समूहों को उधार देने के उद्देश्यों से हम एतद्द्वारा रू...............................(अक्षरे रूपये .... मात्र) के ऋण हेतु आवेदन करते है।
2. हम बैंक द्वार यथानिर्धारित चुकौती अनूसूची के अनुरूप ऋण राशि चुकाने के लिए समहमत हैं।
3. पिछले तीन वर्षो में लेखापरीक्षित संतुलन पत्र के साथ स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों का विवरण एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं/ऐजेन्सियों के प्रति हमारी वर्तमान देयताओं का ब्यौरा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न है।
4. हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर प्रस्तुत किए गए ब्यौरे हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुरूप सत्य एवं सही है।
5. हम एतद् द्वारा बैंक को यह अधिकार देते है कि यदि बैंक आवश्यकता अथवा अपेक्षित समझे, तो वह राष्ट्रीय बैंक सरकार अथवा किसी भी एजेन्सी सहित अन्य किसी भी वित्तीय संस्था हमारे ऋण खातों की पूरी अथवा आंशिक जानकारी या तत्सम्बन्धी ब्यौरा प्रकट कर सकता है। और साथ ही उस आवेदन के साथ में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी यदि असत्य पाई गई और/अथवा उसमें तथ्यों की गलतबयानी पाई गई, तो बैंक हमें भविष्य में कोई भी ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर सकता है तथा/अथवा इस आवेदन के तहत प्रदान किए गए ऋण की पूरी अथवा आंशिक राशि वापिस ले सकता है।

भवदीय,

(अध्यक्ष)   (सचिव)

(एजेन्सी की अधिकारिक मुहर भी लगाए)